न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 59 / 2010

प्रविष्टि दिनांकः— 14.10.2010

प्रताप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कुहाडाखुर्द, तहसील मालपुरा जिला टोंक

..... अपीलाण्ट

बनाम

1—तहसीलदार मालपुरा

2—भागेश कंवर पुत्री स्व. श्री महेन्द्र सिंह पत्नी श्री भानुप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी पुलिस अकादमी शास्त्रीनगर जयपुर राज.

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 27.08.2010 बाबत प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तकरण हेतु

उपस्थितः (1) श्री श्याम सुन्दर विजय, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 19.05.2022

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता महेन्द्र सिंह के नाम / खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 358, 359, 360, 362, 380 / 1, 616 / 2, 617, 629, 665, 669, 666, 667, 356 / 2, 367, 368 / 2 व खसरा नम्बर 668 / 1 कुल किता 16 रकबा 26 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 339, 340, 341, 342 / 1 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कुहाडाखुर्द, तहसील मालपुरा में थी, जो स्व. महेन्द्र सिंह की स्वअर्जित थी, स्व. महेन्द्र सिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 18.02.2009 को उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा जयपुर में रूबरू गवाहान अपीलांट के हक में वसीयत कर दिया था। अपीलांट के पिता का देहान्त दिनांक 21.05.2009 को हो गया। अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर अपने हक में सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण के लिए तहसीलदार मालपुरा को दिनांक 22.06.2010 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान व वसीयतनामा में अंकित गवाहान को साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किये, व साक्ष्य हेतु गवाहान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

भवानी सिंह राठौड व गोरधन सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये, हल्का पटवारी से वस्तु–स्थिति की रिपोर्ट ली गई। सुनवाई के दौरान अपीलांट की माता व बहिनों भागेश कंवर, विजयलक्ष्मी व लोकेन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट के साथ मृतक महेन्द्र सिंह की खातेदारी की भूमि का विरासत का नामान्तकरण भरने का कथन किया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में अंकित किया कि वसीयत की ग्राम में जानकारी नहीं है, भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। भागेश कंवर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयतनामा को फर्जी बताया व प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में वारिसान के मध्य विवाद माना व सक्षम न्यायालय द्वारा उद्घोषणा के अन्तर्गत मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 भी संलग्न किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिये सम्मन की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किए जाने का स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से दिनांक 12.08.2011 को एडवोकेट अशोक कासलीवाल द्वारा अपना वकालतनामा पेश कर जवाब व बहस हेतु अवसर चाहा किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। उनके विरूद्ध दिनांक 14.02.2014 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट व राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के हक में उसके पिता द्वारा जीवनकाल में ही स्वेच्छा से रूबरू सम्पूर्ण हिस्सा आराजीयात जो उनकी स्वअर्जित व खातेदारी की थी, रूबरू गवाहान वसीयत की थी अपीलांट द्वारा वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा के गवाहान के स्वयं कथन लेखबद्ध किये है तथा पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट का कब्जा भी साबित हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण हिस्से को नामान्तकरण स्वीकार नहीं करके भूल की है जिससे आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है। मात्र किसी पक्षकार द्वारा वसीतनामा को फर्जी कह देने से वह फर्जी नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन नहीं किया। अपीलांट की पिता की मृत्यु के उपरांत अपीलांट सम्पूर्ण हिस्से का स्वामी बन चुका था, इसके वावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वारीसान का विवाद होना मानते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के पिता महेन्द्र सिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा एक प्रलेख है, जो स्वअर्जित भूमि के संबंध में है जिसके बाबत् उन्हें पूर्ण अधिकार था। उक्त वसीयतानामा विधि के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा का आदेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 27.08.2010 निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण स्वीकार किये जाने का आदेश तहसीलदार मालपुरा को प्रदान किये जावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वसीयतनामा जो 18.02.2009 को वसीयकर्ता ठाकुर महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री नारायणसिंह ग्राम कुहाडाखुर्द तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल बी–56 पथ नं. 7, जमना नगर, सोडाला द्वारा निष्पादित किया गया है, वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश नियमानुसार एवं विधिसम्मत है।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली पर आए सबूत, दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। साथ ही प्रताप सिंह की तीनों बहनों भागेश कंवर, विजयलक्ष्मी व लोकेन्द्र द्वारा उक्त वसीयतनामे के आधार पर किये जाने वाले नामान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालपुरा का निर्णय दिनांक 27.08.2010 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार मालपुरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए महेन्द्र सिंह के वारिसान की विधिवत् जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 06.06.2022 को न्यायालय तहसीलदार मालपुरा के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)